# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरानं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.:–0744–2325871

**GCMS NO.-2025/1**

मिसल नम्बर–1/2025

श्रीमति अन्तर कंवर आयु 68 साल पत्नी स्वर्गीय श्री बहादुर सिंह जाति राजूपत निवासी मकान नं0 93 सुभाष नगर द्वितीय कोटा

प्रार्थी

बनाम

1.महेन्द्र सिंह आयु 43 साल पुत्र स्वर्गीय बहादुर सिंह
2.भीम कंवर पत्नी महेन्द्र सिंह आयु 40 साल
3.महावीर सिंह आयु 32 साल पुत्र स्वर्गीय बहादुर सिंह
4.सुशीला कंवर पत्नी महावीर सिंह आयु 30 साल जाति राजपूत निवासीगण मकान नं0 93 सुभाष नगर द्वितीय कोटा

अप्रार्थीगण।

–:निर्णयः–

(भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत् प्रार्थना–पत्र।)

दिनांक 30/5/25

उपस्थितिः–

1.श्री पृथ्वीराज सिंह शक्तावत प्रार्थीगण अधिवक्ता।
2.श्री मुकेश शर्मा अप्रार्थीगण अधिवक्ता।

भरण–पोषण एवं वरिश्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत पत्रावली निर्णय प्रार्थना पत्र वास्ते पेश हुई। पत्रावली में निहित दस्तावेज यथा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र मे प्रार्थीगण पक्ष द्वारा निवेदित संक्षेपित तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया के पति स्वर्गीय बहादुर सिंह जी ने अपने जीवन काल में अपनी स्वअर्जित आय से मकान निर्मित किया। जिस पर नगर विकास न्यास कोटा द्वारा पटटा प्रलेख जारी किया गया। प्रार्थीया के पति स्वर्गीय बहादुर सिंह जी का मकान वाके 93 सुभाष नगर द्वितीय कोटा राजस्थान में स्थित है। जिसकी पैमायश 33.5 वर्गमीटर है। जिसे कि प्रार्थीया के पति ने आवंटन पत्र कमांक 976 दिनाक 2–5–1999 को आवंटित किया गया था तथा जिसका पटटा प्रलेख प्रार्थीया के स्वर्गीय पति बहादुर सिंह जी के नाम से दिनांक 20.07.2010 को निष्पादित किया गया जिसका विधिवत पंजीयन कार्यालय उप पंजीयक काटा के यहां पर पुस्तक सख्या–1 जिल्द संख्या 140 पृष्ठ संख्या 73 कम संख्या 2010004316 पर दिनांक 21–7–2010 को हो रहा है। प्रार्थीया क पति का स्वर्गवास हो चुका है तथा उनके स्वर्गवास के पश्चात प्रार्थीया अकेली सीनियर सिटीजन है तथा उनके देहावसान के पश्चात उक्त मकान की रिलीज डीड दोनों प्रतिपक्षीगण द्वारा प्रार्थीया के पक्ष में दिनांक 20–10–2020 को पुस्तक सख्या–1 जिल्द सख्या–395 में पृष्ठ सख्या–87 कम सख्या– 202003127102773 पर हो रहा है। प्रतिपक्षीगण प्रार्थीया के पुत्र है तथा प्रार्थीया के साथ ही उसी मकान में रहकर गृहस्थ जीवन मे अपना जीवन व्यतीत कर रहे है तथा दोनों प्रतिपक्षीगण विवाहित है

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा (राजस्थान)

जो अपनी पत्नीयों के साथ उसी मकान में निवास करते है। प्रतिपक्षीगण को प्रार्थीया ने पढाया लिखाया होनहार युवक बनाया बडे अरमान से उसका विवाह किया गया तथा प्रार्थीया व उसके पति द्वारा काफी स्नेह प्यार से रखा गया उसके विपरीत प्रतिपक्षीगण व उसकी दोनों बहुऐं प्रार्थीया को उक्त मकान से बेदखल करने पर आमादा है तथा प्रार्थीया के साथ गाली गलोच करना मारपीट पर आमादा हो जाना जिसमें प्रतिपक्षीगण का उसकी पत्नीयों द्वारा भी पूरा पूरा सहयोग करती है प्रतिपक्षीगण की मंशा है कि वह प्रार्थीया को उक्त मकान से बेदखल कर उस पर कब्जा कर उसे बेचान कर दे। उक्त मकान में चार कमरे बने हुए है तथा चारों कमरों में प्रतिपक्षीगण 1 लगायत 4 ने कब्जा किया हुआ है जो आयेदिन शराब पीकर उत्पात करते है। प्रतिपक्षीगण का प्रयास यह है कि प्रार्थीया को उक्त मकान से बेदखल करे उसका बेचान कर देवे मोटी राशि हडप कर लेवे इसी उददेश्य से कई मर्तबा खाली दस्तावेजात पर हस्ताक्षर करने के लिए दबाव भी बनाया गया न्यायालय में चलकर प्रोपर्टी प्रतिपक्षीगण के नाम हस्तानान्तरित करने का दबाव बनाया लेकिन ऐसा प्रार्थीया द्वारा न करने पर प्रतिपक्षीगण प्रार्थीया से रंजिश रखने लग गये मारपीट करने पर आमादा रहने लग गये। यहां तक कि प्रार्थीया ने उनके साथ हो रही आयेदिन मारपीट की घटना से तंग आाकर पुलिस को शिकायत पेश की गयी तो थानाधिकारी ने प्रतिपक्षीगण को बुलाकर समझाया कि इस तरह की घटनाओं को रोका जावे अन्यथा हमें कार्यवाही करनी पडेगी लेकिन उसके बावजूद भी प्रतिपक्षीगण अपनी हरकतो से बाज नहीं आ रहे है। प्रार्थीया वृद्ध है तथा अधिकतर बीमार रहती है हारी बीमारी से ग्रसित है जिसकी दवाई गोली चलती रहती है लेकिन कई मर्तबा प्रतिपक्षीगण ने दवाई गोली बदलने का प्रयास किया गया। कई बार चलते चलते धक्का दे दिया कभी भी कोई भी बरतन उठाकर फेंक देती है। घर का खाना नहीं बना रही है तथा खाना प्रार्थीया को ही बनाना पडता है घर की साफ सफाई नहीं कर रही है झाडू पोछा भी प्रार्थीया ही करती है। प्रार्थीया को खाना भी समय पर नहीं दिया जाता है तथा रोजाना प्रतिपक्षीगण व उसकी दोनो बहूए प्रार्थीया के मकान को हडपने की गरज से उक्त मकान से बाहर निकालने पर आमादा है। जिसका कि प्रतिपक्षीगण को अधिकार प्राप्त नहीं है क्योकि उक्त मकान प्रार्थीया के पति का है उसके पश्चात प्राथीया के पक्ष में रिलीज कर दिया गया है जिस कारण प्रार्थीया ही उक्त मकान की तन्हा मालिक व स्वामिनी चली आ रही है तथा दोनों प्रतिपक्षीगण प्रार्थीया को उक्त मकान अपने नाम करवाने के लिए दबाव बनाते है तथा इसलिये वह प्रार्थीया के साथ मारपीट करने पर आमादा रहते है। प्रतिपक्षीगण के उक्त कृत्य में उसकी पत्नीयां भी पूरा पूरा सहयोग करती है तथा प्रार्थीया से ऐब करती है तथा लडाई झगड़ा करती है तथा घर का वातावरण बिगाड रखा है वह दोनों प्रतिपक्षीगण व उनकी पत्नीयां चाहती है यह इस मकान से निकल जावे और मकान को हमारे नाम कर देवे जिससे हम उक्त मकान को बेचान कर नया मकान खरीद कर सके। इसलिये अति आवश्यक हो गया कि प्रतिपक्षीगण को उस घर से निकाल दिया जावे कई मर्तबा प्रार्थीया ने अलग करने का प्रयास किया गया लेकिन प्रतिपक्षीगण अलग रहने को तैयार नहीं है उनका आशय है कि उक्त मकान पर कब्जा करके प्रार्थीया के साथ हनहोनी घटना करके व दबाव डालकर मकान को बेचान करने पर आमादा है। इसलिये आवश्यक है कि प्रतिपक्षीगण से उक्त मकान से बेदखल कर दिया जावे। प्रार्थीया को उक्त मकान से

उपखण्ड अधिकारी
को.।

न्यायालय उपखण्ड ... कोटा

प्रतिपक्षीगण से बेदखल करना चाहते है उनको किसी तरह का हिस्सा नहीं देना चाहते है ना ही उनसे किसी तरह का रिश्ता नहीं रखना चाहते है जिसका प्रार्थीया को पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अतः प्रार्थना पत्र पेशकर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रतिपक्षीगण को उक्त मकान से बेदखल करने हेतु पुलिस अधीक्षक शहर कोटा को निर्देशित किया जाने के आदेश फरमावें साथ ही प्रार्थीया को प्रतिपक्षीगण से हर माह खर्चा भी दिलाया जावे ताकि प्रार्थीगण को न्याय प्राप्त हो सके।

प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी की तलबी हेतु नोटिस प्रेषित किये गये। अप्रार्थी नं0 3 व 4 की ओर से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि उक्त मकान स्वर्गीय बहादुर सिंह जी द्वारा खरीद किया जाना न होकर पुर्नवास में आवंटित हुआ था। प्रतिपक्षी कम 3 अपने स्वर्गीय पिता बहादुर सिंह जी के जीवनकाल से ही उक्त मकान में उपर के पोर्शन में निवास करता चला आ रहा है तथा प्रतिपक्षी कम 3 का विवाह भी प्रतिपक्षी कम 4 के साथ इसी मकान में सम्पन्न हुआ था तथा प्रतिपक्षी कम 3 के पिता बहादुर सिंह जी ने उनके जीवनकाल में उक्त मकान का बंटवारा करके प्रतिपक्षी कम 3 को उनके मकान के उपर वाले पोर्शन मे निवास करने की अनुमति दे रखी थी। प्रतिपक्षी कम 3 द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र में रिलीज डीड के बारे में जो दिनांक 20.10.2020 को होना बताया है, की जानकारी होने पर अवाक रह गया क्योकि उक्त रिलीज डीड की फोटोप्रति जो माननीय न्यायालय मे पत्रावली मे प्रस्तुत है, में फोटो प्रतिपक्षी कम 3 का लगा हुआ है किन्तु उस पर प्रतिपक्षी कम 3 के हस्ताक्षर नही है तथा प्रार्थीया ने प्रतिपक्षी कम 1 व 2 के साथ मिलीभगत कर उक्त कूटरचित दस्तावेज तैयार कर षडयंत्रपूर्वक उक्त प्रार्थना पत्र के जरिये प्रतिपक्षी कम 3 व 4 को उनके पिता की सम्पति मे से अवैध रूप से बेदखल करने के लिये उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त रिलीज डीड के संबध मे प्रतिपक्षी कम 3 अलग से दीवानी एवं फोजदारी कार्यवाही करने के लिये जा रहा है। क्योकि उक्त रिलीज डीड की जानकारी प्रार्थी को इस प्रार्थना पत्र मे उपस्थिति देने के दिन हुई है। प्रतिपक्षी कम 3 जो दैनिक मजदूरी का कार्य करता है जिससे बमुश्किल 5 से 7 हजार रूपये प्रतिमाह कमाता है जिससे अपनी पत्नी प्रतिपक्षी कम 4 व 3 नाबालिग बच्चो का पालन पोषण करता है। प्रार्थीया एवं प्रतिपक्षी कम 1 व 2 ने आपसी मिलीभगत करके प्रतिपक्षी कम 3 व 4 को परेशान कर रखा है तथा उक्त मकान मे नीचे स्थित लेट बाथ का उपयोग नही करने देते है एव ताला लगाकर रखते है जिससे प्रतिपक्षी कम 3 व 4 व उसके बच्चो को सार्वजनिक रूप से खुले मे शोच करने जाना होता है तथा इन्होने आंतंक व भय का माहोल बना रखा है तथा षडयंत्र रचकर जबरन प्रतिपक्षी कम 3 व 4 को उक्त मकान से बेदखल करने पर आमदा है। प्रतिपक्षी कम 3 एक दैनिक मजदूर है जिसकी आय मात्र 5 से 7 हजार रूपये है उसके बावजूद भी प्रतिमाह 1 हजार रूपये प्रार्थीया को अदा करता है तथा प्रार्थीया पुश्तैनी कृषि आराजीयात जो जिला भीलवाड़ा में स्थित है जिससे वार्षिक होने वाली आय भी उसको प्राप्त होती है जो लगभग 50 हजार रूपये है वह भी प्रार्थीया एवं प्रतिपक्षी कम 1 व 2 द्वारा प्राप्त की जाती है। अतः जवाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रतिपक्षी कम 1 व 2 के साथ मिलीभगत कर षडयंत्र पूर्वक पूर्व मे ही रिलीज डीड तैयार कर जिसकी जानकारी प्रतिपक्षी कम 3 व 4 को उक्त प्रार्थना पत्र मे लगी प्रति

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

से हुई है, प्रस्तुत किया गया है जिसका प्रार्थीया को प्रतिपक्षी क्रम 3 व 4 को उक्त मकान से बेदखल करने का कोइ विधिक अधिकार नही है. क्योकि उक्त मकान प्रतिपक्षी क्रम 3 के पिता बहादुर सिंह जी का था तथा उनके जीवनकाल में ही उक्त मकान का बंटवारा कर प्रतिपक्षी क्रम 3 व 4 को उक्त मकान के उपर वाले पोर्शन मे निवास करने हेतु दे दिया गया था तभी से प्रतिपक्षी क्रम 3 व 4 उक्त हिस्से में शान्तिपूर्वक निवास करते आ रहे है तथा प्रार्थीया के साथ प्रतिपक्षी क्रम 3 व 4 द्वारा किसी प्रकार की गाली गलौच एंव लडाई झगडा नही किया गया है। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र प्रतिपक्षी क्रम 1 व 2 के साथ मिलीभगत कर षडयंत्र पूर्वक प्रस्तुत किया गया है जो खारिज फरमाये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

बावजूद सूचना अप्रार्थी नं0 1 व 2 उपस्थित नही हुये अतः अप्रार्थी नं0 1 व 2 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र की प्रकिया के पश्चात पत्रावली बहस वास्ते नियत की गई। उभयपक्ष की ओर से लिखित बहस प्रस्तुत की गई।

हमने पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों का आद्योपान्त अध्ययन किया। बहस के कथनों पर गंभीरतापूर्वक मनन किया गया। प्रार्थना पत्र में अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीया के साथ बदसलूकी, गाली गलौच, लड़ाई झगड़ा करने एवं मकान से बेदखल करने का कथन किया है परन्तु प्रार्थीया द्वारा अपने वर्णित कथनों के सम्बंध में इस प्रकार का कोई भी ठोस दस्तावेज या सबूत या रिपोर्ट प्रस्तुत नही की गई जिससे प्रार्थीया के कथनों को प्रमाणित किया जा सके। पत्रावली में संलग्न दस्तावेज हक त्याग पत्र एवं पट्टा नगर विकास न्यास कोटा के अवलोकन से उक्त मकान पर प्रार्थीया का स्वामित्व तो सिद्ध होता है। परन्तु अन्य कथनों के समर्थन में किसी प्रकार के दस्तावेज प्रस्तुत नही किये है। जिस कारण से प्रार्थीया अपने उक्त कथनों को सिद्ध करने में असमर्थ रही है। अतः प्रार्थीया द्वारा अप्रार्थीगण को वर्णित मकान नं0 93 सुभाष नगर द्वितीय कोटा से बेदखल किये जाने की प्रार्थना स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। चूंकि प्रार्थीया वर्तमान में वृद्धावस्था के कारण किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं कर पाती हैं, आय का पर्याप्त स्रोत नही होने के कारण प्रार्थीया अपनी सार–सभांल स्वयं करने में असमर्थ हैं। अतः अप्रार्थी क्रम 1 व 3 को आदेशित किया जाता है कि अपनी माता को 2,000/–, 2,000/– रूपये मासिक प्रत्येक भरण–पोषण हेतु राशि जर्ये बैंक खाता दिया जाना सुनिश्चित करें ताकि भरण–पोषण राशि के सम्बन्ध में भविष्य में किसी प्रकार का वाद–विवाद उत्पन्न न हों एवं न्यायहित अप्रार्थीगण को पांबद किया जाता है कि वे प्रार्थीया के साथ लड़ाई झगड़ा, मारपीट, गाली गलौच इत्यादि नही करें, उपरोक्त वर्णित मकान नं0 93 सुभाष नगर द्वितीय कोटा में प्रार्थीया के शांतिपूर्वक निवास, उपयोग व उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें।

उक्त निर्णय आज दिनांक 30/5/25 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

गजेन्द्र सिंह
उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी
कोटा